# रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/414/2019

**पीठासीनः श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना**

संस्थन की तिथिः 07.11.2019

निर्णय की तिथिः 16.01.2025

किसलय प्रसाद एवं अन्य
सभी निवासी ग्राम/मो0– बलैठा,
थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना,
बिहार ............................ याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर ............................ उत्तरदाता

**दावा राशिः ₹8,00,000/– मय ब्याज**

उपस्थितिः
याचीगण की ओर से– श्री आर0के0पटेल, अधिवक्ता–उपस्थित।
उत्तरदाता की ओर से–श्री अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता–उपस्थित।

निर्णय

**श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक)**:

1. याचीगण किसलय प्रसाद एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत किरण देवी की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के

परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार मृतका किरण देवी दिनांक 07.06.2018 को पुनपुन स्टेशन से नदौल स्टेशन का वैध द्वितीय श्रेणी साधारण टिकट ट्रेन नं0 63241 अप पटना-गया पैसेन्जर ट्रेन पर पुनपुन स्टेशन पर नदौल जाने के लिए सवार हुई। मृतका ने उक्त टिकट अपने पति के मौसा, मंजू प्रसाद की उपस्थिति में खरीदी एवं उनके समक्ष ही उक्त ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन में भीड़ थी। उक्त ट्रेन जब छोटकी मसौढ़ी एवं तिनेरी हाल्ट के बीच चल रही थी तो नदौल स्टेशन पर उतरने के लिए मृतका ट्रेन के डिब्बे के दरवाजा के पास पहुंची। यात्रियों की धक्का मुक्की के कारण मृतका पोल सं0 33/27 एवं 33/29 के बीच चलती ट्रेन से गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट खो गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि आवेदक का दावा आवेदन कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। आवेदक को विपक्षी के विरूद्ध को यह दावा आवेदन दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान उक्त घटना घटित हुआ जो यह दर्शाता है कि मृतक सदभावी यात्री नहीं था। मृतक के पास यात्रा टिकट बरामद नहीं हुआ था जिससे यह स्पष्ट है कि मृतक सदभावी यात्री नहीं था एवं झूठे तथ्यों पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन दाखिल किया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदशी साक्षी नहीं है। ट्रेन ड्राईवर एवं ट्रेन गार्ड ने यह बयान दिया है कि उक्त तिथि को उनके ड्यूटी आवर्स में कोई व्यक्ति ट्रेन से नहीं गिरा था और न कटा था। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

## वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30.06.2021 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

(1) क्या मृतका ट्रेन नं0 63241 का एक सदभावी यात्री थी?

(2) क्या मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (c) (2) के अन्तर्गत अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतका के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदक/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में किसलय प्रसाद का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 1 के रूप में एवं मंजू प्रसाद का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से मेमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, रेल थाना को दिया गया आवेदन, एफ आई आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शव प्राप्ति रसीद, पुलिस फाइनल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पारिवारिक सूची, बैंक पासबुक, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट मय दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

## विनिश्चय

## वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

9. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि मृतका किरण देवी दिनांक 07.06.2018 को पुनपुन स्टेशन से नदौल स्टेशन का वैध द्वितीय श्रेणी साधारण टिकट ट्रेन नं0 63241 अप पटना–गया पैसेन्जर ट्रेन पर पुनपुन स्टेशन पर नदौल जाने के लिए सवार हुई। मृतका ने उक्त टिकट अपने पति के मौसा, मंजू प्रसाद की उपस्थिति में खरीदी एवं उनके समक्ष ही उक्त ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन में भीड़ थी। उक्त ट्रेन जब छोटकी मसौढ़ी एवं तिनेरी हाल्ट के बीच चल रही थी तो नदौल स्टेशन पर उतरने के लिए मृतका ट्रेन के डिब्बे के दरवाजा के पास पहुंची। यात्रियों की धक्का मुक्की के कारण मृतका पोल सं0 33/27 एवं 33/29 के बीच चलती ट्रेन से गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट खो गया।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि प्रस्तुत मामले में यदि मृतक के पास टिकट होता तो वह टिकट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय बरामद होता। परन्तु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में टिकट बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। याचीगण द्वारा सिर्फ मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनगढ़न्त साक्ष्यों पर दावा आवेदन दाखिल किया गया है।

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा 2 (29) रेल अधिनियम 1989 में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

***धारा 2(29)***– *"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"*

***रेल अधिनियम 1989 की धारा 124A के स्पष्टीकरण के अनुसार***– *इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–*

*(i) कर्त्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और*

*(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।*

12. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:

*".......mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."*

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

13. याची किसलय प्रसाद, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 3 में कहा है–

*"यह कि मेरी पत्नी दिनांक 07.06.2018 को अपने घर आने हेतु मेरे मौसा के घर मनोरा से पुनपुन रेलवे स्टेशन आयी जिसे छोड़ने मेरे मौसा भी साथ पुनपुन रेलवे स्टेशन आये थे और उन्हीं के समक्ष मेरी पत्नी दिनांक 07.06.2018 को पुनपुन रेलवे स्टेशन से नदौल रेलवे स्टेशन तक का वैध रेलवे यात्रा टिकट लेकर पटना–गया पैसेंजर ट्रेन में नदौल स्टेशन आने के लिए पुनपुन स्टेशन पर सवार हुई थी जिसकी सूचना मुझे मोबाईल के द्वारा मेरे मौसा मुझे दिए थे।"*

14. दिनांक 05.08.2022 को अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी किसलय प्रसाद, ए0डब्लू0 1 ने बताया है कि–

घटना में मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मेरी पत्नी पुनपुन स्टेशन से नदौल स्टेशन जा रही थी। मेरी पत्नी मेरी मौसा के यहां से आ रही थी। मैं अपनी पत्नी को टिकट कटाते हुए, ट्रेन पर चढ़ते हुए या ट्रेन से गिरते हुए अपनी आखों से नही देखे थे। **मेरे मौसा ने बताया था कि पत्नी किरन देवी मेरे समक्ष टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ी थीं। मौसा ने मेरी पत्नी को पटना गया पैसेजर गाड़ी में चढ़ाये थे।** जब मेरी पत्नी समय पर घर नहीं पहुंची तो एक बजे मैं पूछताछ करते हुए नदौल स्टेशन पहुंचा, वहां पर मुझे पता चला कि कोई महिला तिनेरी हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है। घटना की सूचना तारेगना थाना से मिली थी। जी आर पी थाना में मैं लिखित आवेदन दिया था। मेरे साथ मेरे पिता और दादा जी साथ में थे। पुलिस ने लाश से कोई सामान बरामद नहीं किया था। पत्नी का शव पोस्टमार्टम के बाद पटना के शवगृह से प्राप्त हुआ था। मेरी पत्नी क आश्रितों में मेरे अतिरिक्त तीन बच्चे है: दो पुत्र ओर एक पुत्री है, जिसका विवरण मैं शपथ–पत्र के पारा 15 में दिया हूं। प्रस्तुत केस के अलावा मुआवजा के वास्ते मैं किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा नहीं किया हूं। ऐसी बात नहीं है कि मै मुआवजा के लिए न्यायालय में झुठा गवाही देने के लिए आया हूं। ऐसी बात नही है कि मेरी पत्नी की मृत्यु अनपेक्षित घटना में न हुई हो।

15 साक्षी मंजू प्रसाद, ए0डब्लू0 2 ने अपने शपथपत्र की पैरा 2 में कहा है–

***"यह कि किरण देवी मेरे ग्राम मनोरा आई थी और दिनांक 07.06.2018 को अपना घर वापस जाने हेतु मेरे घर से पुनपुन स्टेशन गयी थी जिन्हें छोड़ने मैं भी साथ पुनपुन रेलवे गया था और किरण देवी मेरे समक्ष पुनपुन रेलवे स्टेशन से नदौल स्टेशन का वैध रेलवे यात्रा टिकट लेकर पटना–गया पैसेन्जर ट्रेन में नदौल स्टेशन आने के लिए पुनपुन स्टेशन पर सवार हुई थी जिसकी सूचना मोबाईल के द्वारा मैं किसलय प्रसाद को दिया था।"***

16. दिनांक 27.12.2023 को अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी मंजू प्रसाद, ए0डब्लू0 2 ने बताया है कि–

मृतक मेरे साढु के पुतौह है। किरन देवी मेरे घर 10 दिन पहले आयी थी, तारीख मैं नहीं बता सकती हूं। मेरे घर से किरन देवी पांच बजे निकल थी। **मैं किरन देवी को पहुंचाने पुनपुन स्टेशन आये थे, टिकट उसने खुद ही कटायी थी। किरन देवी को गाड़ी चढ़ाने के बाद मैं घर चले गये। गाड़ी पटना गया पैसेंजर थी।** घटना छोटकी मसौढ़ी और तिनेरी के बीच में घटी थी। मुझे घटना की सूचना किसलय प्रसाद से मिली थी। सूचना मिलने के बाद मै नदौल गया था वहीं से पता चला कि एक महिला छोटकी मसौढ़ी और तिनेरी के बीच में ट्रेन से गिर गयी है, जिसे तारेगना के पुलिस लाश को ले गया है। घटनास्थल पर जी आर पी वाले थे कि नहीं मैं नही देखा था। मैं घटना होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। मेरे घर से घटनास्थल काफी दूर है। प्रस्तुत दावा के अलावा मुआवजा के वास्ते किसी अन्य न्यायाधिकरण में मुकदमा नहीं किया हूं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा दाखिल दावा आवेदन और शपथ–पत्र गलत है। यह कहना गलत है कि मैं न्यायाधिकरण के समक्ष झुठा गवाही देने के लिए आया हूं।

इस प्रकार याची ने जिन तथ्यों का कथन मूल आवेदन में किया है उसका समर्थन साक्षी ए0डब्लू0 2 के साक्ष्य शपथपत्र एवं मुख्य परीक्षा से हो जाती है। इससे यह साबित होता है कि मृतक घटना के समय एक सदभावी यात्री था।

17. घटना के उपरांत दिनांक 07.06.2018 को किसलय प्रसाद, मृतका के पति ने थानाध्यक्ष, रेल पी0पी0 तारेगना को एक आवेदन दिया था, उस आवेदन में यह कहा गया है कि मृतका किरण देवी को उसके मौसा मंजू प्रसाद पुनपुन स्टेशन तक छोड़ने आये थे एवं मृतका मंजू प्रसाद के समक्ष ही टिकट कटाकर पटना गया पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ी थी जिसकी सूचना उन्हें (किसलय प्रसाद को) दिये थे। इस प्रकार, रेल थाना को दिये गये आवेदन में किया गया कथन, मूल आवेदन में किया गया कथन, ए0डब्लू0 1 के शपथपत्र में किया गया कथन, साक्षी मंजू प्रसाद ए0डब्लू02 के मुख्य परीक्षा में किए गए कथन एकसमान हैं। इस प्रकार साक्षी ए0डब्लू0 2 के कथन से, मूल आवेदन में याची द्वारा मंजू प्रसाद के समक्ष मृतका का टिकट खरीदने एवं ट्रेन पर चढ़ने संबंधी किये गये कथन, का समर्थन होता है जिससे यह साबित होता है कि मृतका घटना के समय सदभावी यात्री थी।

18. रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 *(c)* के अनुसारः–

*(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–*

*(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या*

*(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या*

*(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा*

*(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।*

19. स्टेशन प्रबंधक, पू0म0रे0, तारेगना द्वारा थानाध्यक्ष, रेल पी0पी0 तारेगना को संबोधित स्टेशन मेमो के अनुसार,

*सूचित किया जाता है कि नदौल स्टेशन मास्टर डी के चौधरी जी के द्वारा सूचना दिया है कि गेटमैन शत्रुघ्न प्रसाद ने सूचना दिया है कि एक अज्ञात महिला उम्र करीब 30 वर्ष KM UP 331/29 gate No. 232B C/R के पहले* ***अज्ञात गाड़ी से गिरकर कट कर मर गया है।*** *कृपया उचित कार्रवाई करें।*

इस मेमो में स्पष्ट रूप से **अज्ञात गाड़ी से गिरकर कटकर मर जाना** अंकित है इससे अनपेक्षित घटना में मृतका की मृत्यु होना साबित होता है।

20. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण, "*गवाहों के बताये अनुसार* ***अज्ञात मृतका की मृत्यु किसी अज्ञात ट्रेन से गिर कर बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण मृत्यु होना*** " अंकित है।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से **किसी अज्ञात ट्रेन से गिर कर बुरी तरह जख्मी हो जाने से मृत्यु होना** अंकित है जिससे मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना में मृत्यु होना साबित हो जाता है।

21. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 07.06.18 के अनुसारः

*(1) Abrasions 11cmx11cm over (Rt.) side face and forehead with blood and blood clots irregular in shape redish colour.*

*(2) Laceration: (1) 3 cmx1 cmx bone deep over mid part of Rt. chin.*

*(2) 4cmx 3cm x bone deep (Rt.) side pinna ear with blood and blood clots.*

*(3) Rt. side head was crushed, cranial and facial bone # into pieces with sub scalp hematoma over Rt fronts - perietal temporal and occipital scalp underneath Rt side*

*brain matter laceration with corresponding contrusion of sub....... hematoma all over the brain with blood and blood clots.*

*Opinion: Cause of death was **Cerino-cerebral damage resulting from head injury** caused by hard blunt force.*

इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें दर्शायी गयी हैं वे रेल दुर्घटना में आ सकती हैं। साथ ही **पोस्टमार्टम में चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण head injury दर्शाया गया है** जिससे मृतका की मृत्यु ट्रेन से गिरकर अनपेक्षित घटना में होने की पुष्टि होती है।

22. पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस फाइनल रिपोर्ट के अनुसार,

"*मृतका किरण देवी उम्र करीब 32 वर्ष पति किसलय प्रसाद की मृत्यु दि0 07.06.18 को पुनपुन स्टेशन से नदौल स्टेशन गाड़ी सं0 63241 अप पटना–गया सवारी गाड़ी से यात्रा के क्रम में छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट से 1½ कि0मी0 उतर **चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी होने से घटनास्थल पर ही मृत्यु होना*** " दर्शाया गया है।

इस रिपोर्ट में मृतक के **गाड़ी सं0 63241 अप पटना–गया सवारी गाड़ी से चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी होने से घटनास्थल पर ही मृत्यु होना** दर्शाया गया है।

23. पत्रावली पर उपलब्ध डी आर एम रिपोर्ट के अनुसार–

"*जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतका किरण देवी... जो किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रही थी और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अनधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी के चपेट में आने से हुई है, जो रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की*

*उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।"*

उपरोक्त रिपोर्ट के समर्थन में विपक्षी रेलवे ने किसी ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड अथवा अन्य किसी साक्षी को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मृतका की मृत्यु अनधिकृत रूप से रेलवे लाईन पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी की चपेट में आने से हुई है।

24. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन यह तथ्य साबित होता है कि मृतक कथित ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है। तद्नुसार वाद बिन्दु 1 एवं 2 सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष विनिश्चित किये जाते हैं।

## वाद बिन्दु संख्या 03

25. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं? मूल आवेदन के साथ पारिवारिक सूची दाखिल किया गया है जिसके अनुसार, किसलय प्रसाद (मृतका के पति), सन्नी कुमार (मृतका का पुत्र), निरज कुमार (मृतका का पुत्र) एवं कोपल कुमारी (मृतका की पुत्री), को मृतका के परिवार के सदस्य दर्शाया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। अतः किसलय प्रसाद (मृतका के पति), सन्नी कुमार (मृतका का पुत्र), निरज कुमार (मृतका का पुत्र) एवं कोपल कुमारी (मृतका की पुत्री), ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के तहत मृतक के आश्रित की परिधि में आतें हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

## वाद बिन्दु संख्या 04

26. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

## आदेश

27. आवेदकगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगेः-

| कम सं0 | लाभार्थी का नाम | मृतक से संबंध | उम्र (वर्षों में) | एवार्ड की गयी धनराशि (₹) | पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹) | राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | किसलय प्रसाद | पति | 39 | ₹5,00,000 | ₹80,000 | ₹4,20,000 |
| 2. | सन्नी कुमार | अवयस्क पुत्र | 15 | ₹1,00,000 | शून्य | ₹1,00,000* |
| 3. | नीरज कुमार | अवयस्क पुत्र | 13 | ₹1,00,000 | शून्य | ₹1,00,000* |
| 4. | कोपल कुमारी | अवयस्क पुत्री | 12 | ₹1,00,000 | शून्य | ₹1,00,000* |

नोटः— * सन्नी कुमार, नीरज कुमार (दोनों मृतका के अवयस्क पुत्रों), कोपल कुमारी (मृतक की अवयस्क पुत्री) के हिस्से की पूरी राशि उनके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

सन्नी कुमार, नीरज कुमार (दोनों मृतका के अवयस्क पुत्रों), कोपल कुमारी (मृतक की अवयस्क पुत्री) का अंश उनके पिता किसलय प्रसाद के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनके पिता अपने अवयस्क पुत्र/पुत्री के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

28 (a) प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.)

के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

29. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

RBSharma 16/01/2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 16.01.2025

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

RBSharma 16/01/2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 16.01.2025